

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठारीन अधिकारी- रामरतन साँकरिया
आर.ए.एस
मिसल नम्बर तारीख दायरा तारीख निर्णय
04/2025 प्रा.पत्र/2025 27.01.2025 06.03.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री मूलचन्द धाकड़ निवासी मुरलीधर जी के मन्दिर के पास गुर्जरो का खुरा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर मुरलीधर जी के मन्दिर के पास गुर्जरो का खुरा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड-304507 मोबाईल नं. 9928930715।
2-मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर मुरलीधर जी के मन्दिर के पास गुर्जरो का खुरा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड-304507।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 06/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.10.2024 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर मुरलीधर जी के मन्दिर के पास गुर्जरो का खुरा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपरायटर की हैसियत से श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री मूलचन्द धाकड़ अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर मुरलीधर जी के मन्दिर के पास गुर्जरो का खुरा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री मूलचन्द धाकड़ को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री मूलचन्द धाकड़ ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 16 किलोग्राम लाल मिर्च पावडर (खुला) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री मूलचन्द धाकड़ को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना



प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री मूलचन्द धाकड़ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह लाल मिर्च पावडर (खुला) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में प्लास्टिक के कट्टे में रखे लगभग 16 किलोग्राम में से कुल 2 किलोग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पावडर (खुला) 2 किलोग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में प्रत्येक में 500-500 ग्राम भरकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4083 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4083 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की। शेष बचे खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पावडर खुला को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/4127 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3928/एक्ट/2024/3844 दिनांक 15.10.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया लाल मिर्च पावडर (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं. 2.3.14(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा




प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र खुले में विक्रय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस लाल मिर्च पावडर (खुला) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया लाल मिर्च पावडर (खुला) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वह जब्तशुदा लाल मिर्च पावडर खुला को निस्तारित करने की कार्यवाही करे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय दिनांक 06/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सींकारिया)
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0